(99)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 3953-तीन/2014 - विरूद्ध आदेश दिनांक 14-10-2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 129/2013-14 पुनरावलोकन

1- श्रीमती सुनीता पत्नि मिथिला प्रसाद गुप्ता

2- बैजनाथ पुत्र झरियारी कहार

निवासीगण ग्राम कोतर तहसील गोपदबनास

जिला सीधी मध्य प्रदेश ---अपीलांट्स

विरूद्ध

राजेश कुमार गुप्ता पुत्र बैजनाथ गुप्ता

ग्राम कोतर तहसील गोपदबनास जिला सीधी --- रिस्पाण्डेन्ट

(अपीलांट्स के अभिभाषक श्री के.के.द्विवेदी)

(रिस्पा0 के अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन)

आ दे श

(आज दिनांक 07 - 6-2017 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 129/2013-14 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 14-10-14 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ **प्रकरण का सारॉश यह है कि** बैजनाथ पुत्र झरियारी कहार ने नजूल अधिकारी सीधी के प्रकरण कमांक 4/अ-6-अ/91-92 में पारित आदेश दिनांक 2-9-1993 के विरुद्ध कलेक्टर सीधी के समक्ष अपील प्रस्तुत की। कलेक्टर सीधी ने प्रकरण कमांक 45/2001-02 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-12-10 से अपील स्वीकार कर नजूल अधिकारी सीधी का आदेश दिनांक 2-9-1993 निरस्त कर दिया तथा इसी आदेश को अन्य अपील कमांक 46/01-02 पर भी लागू किया। कलेक्टर सीधी के इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील कमांक 999/ 10-11 एंव निगरानी कमांक 290/10-11 प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने आदेश दिनांक 25-6-14 पारित किया तथा अपील/निगरानी निरस्त करते हुये कलेक्टर सीधी का आदेश दिनांक 6-12-10 स्थिर रखा।

अनावेदक ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के अंतर्गत आदेश दिनांक 25-6-14 के पुनरावलोकन की प्रार्थना की है। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 129/2013-14 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 14-10-2014 से पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया तथा अपील कमांक 999/ 10-11 एंव निगरानी कमांक 290/10-11 में पारित आदेश दिनांक 25-6-14 के साथ कलेक्टर सीधी का आदेश दिनांक 6-12-10 निरस्त कर दिये तथा निर्णय दिया कि -

"प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक को जो बसीयत प्राप्त हुई है उसका उभय पक्ष के समक्ष परीक्षण कर उभय पक्षों को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर देकर नियमानुसार गुणदोष के आधार पर आदेश पारित करें।"

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के इसी आदेश से परिवेदित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ रिस्पा0 के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि पुनरावलोकन आदेश के विरूद्ध अपील प्रचीलन-योग्य नहीं है इसलिये अपील निरस्त की जावे। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में दी गई व्यवस्था के अवलोकन पर पाया गया कि पुनर्विलोकन आदेशों के विरूद्ध अपील के प्रावधान दिये गये है जिसके अनुसार मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 (3) में प्रावधान किया गया है कि पुनर्विलोकन में मूल आदेश को परिवर्तित करने वाला या उलट दिये जाने वाला आदेश मूल्य आदेश के समान ही अपील योग्य है। अतः रिस्पा0 के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

5/ अपीलांट्स के अभिभाषक ने तर्को के दौरान ध्यान आकर्षित कराया कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा अपील कमांक 999/ 10-11 एंव निगरानी कमांक 290/10-11 में पारित आदेश दिनांक 25-6-14 से अपील/निगरानी निरस्त करते हुये कलेक्टर सीधी के आदेश दिनांक 6-12-10 स्थिर रखा था, किन्तु पुनरावलोकन आवेदन आने पर प्रकरण कमांक 129/2013-14 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 14-10-2014 से अपील कमांक 999/ 10-11 एंव निगरानी कमांक 290/10-11 में पारित आदेश दिनांक 25-6-14 के साथ कलेक्टर सीधी के आदेश दिनांक 6-12-10 को निरस्त करते हुये मामला विचारण न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया है, जबकि अपर आयुक्त को मामला रिमाण्ड करने के अधिकार नहीं है।

अपीलांट्स के अभिभाषक की आपत्ति पर विचारोपरांत मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44, 50 तथा 51 का अवलोकन किया गया। मध्य प्रदेश अधिनियम कमांक 42 सन् 2011 द्वारा (दिनांक 30-12-2011) से अंतःस्थापित अनुसार अपीलीय न्यायालय मामले का गुणागुण पर निश्चय करते समय यथा अपील स्वीकार करेंगे अथवा अस्वीकार करेंगे, परन्तु

अनुविभागीय अधिकारी, कलेक्टर/अपर कलेक्टर अथवा कमिश्नर/अपर कमिश्नर को अपील/निगरानी को पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित करने के अधिकार नहीं है, जबकि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 129/2013-14 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 14-10-2014 से अपील कमांक 999/10-11 एंव निगरानी कमांक 290/10-11 में पारित आदेश दिनांक 25-6-14 के साथ कलेक्टर सीधी के आदेश दिनांक 6-12-10 को निरस्त करते हुये मामला विचारण न्यायालय को पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित करने का अधिकारविहीन निर्णय लिया है जिसके कारण अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश दिनांक 14-10-2014 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 129/2013-14 पुनरावलोकन में पारित आदेश दिनांक 14-10-2014 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव अपील स्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर